[2010] 8 एस.सी.आर. 1036

बिपिन कुमार मंडल

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1247/2008)

जुलाई 26, 2010

[पी सदाशिवम और डॉ. बी.एस. चौहान, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302, 323-हत्या – अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी और पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी -,बचाव करने की कोशिश करते समय दूसरा पुत्र पीडब्लू-1 भी घायल हो गया – दोषसिद्धि – धारा 302 और 323 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया जिसे चुनौती दी गई – पीडब्लू-1 की साक्ष्य मे उसके पास यह दर्शाने हेतु कोई कारण नहीं था कि वह अपने पिता को इतनी संगीन हत्या में फँसाएगा-पीडब्लू-1 की साक्ष्य स्वाभाविक, अधिसंभावित और दृढ़ थी -अन्य साक्षीगण जो निकट संबंधी और पड़ोसी थे और पीडब्लू-1 की चीखें सुननेके बाद मौके पर पहुंचे थे,उनके द्वारा भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया गया -प्रत्यक्ष दर्शी साक्ष्य को पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा विधिवत समर्थित किया गया–

दोषसिद्धि का उचित आदेश दिया गया क्योंकि साक्ष्य दृढ़ और विश्वसनीय थी -उद्देश्य की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामलेको खत्म नहीं करेगा क्योंकि अपराध के घटित होने के संबंध में एक विश्वसनीय साक्षी की प्रत्यक्ष साक्ष्य थी -साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 134 – साक्षी – एकल साक्षी।

आपराधिक कानून: अवधारित : उद्देश्य – पूर्णतया अप्रासंगिक हो जाता है जब अपराध के घटित होने के संबंध में एक विश्वसनीय साक्षी की प्रत्यक्ष साक्ष्य हो -धारा 302 और 323 दंड संहिता, 1860 ।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पी डब्लू-1 ने इस आशय का पर्चा (इज़हार) दर्ज कराया गया था जिसमें कहा गया था कि उसके पिता (अपीलकर्ता) उस रात्रि उसके घर आए और उनकी मां और छोटेभाई पर चाकू से हमला किया । जब पी डब्लू-1 ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया और और उसके सिर तथा हाथों पर चोटें आईं और अपीलकर्ता भाग गया. दोनों पीड़ितों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पी डब्लू-1 की चीख सुनकर पड़ोसी घटना स्थल पर पहुंचे। विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष अपने मामलेको युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा था और अपीलकर्ता को धारा 302, 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया । उच्च

न्यायालय द्वारा भी दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की गई । दोषसिद्धि के आदेश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई थी।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई -

अभिनिर्धारित किया : 1.1. पी डब्लू-1 द्वारा दर्ज पर्चा (इज़हार) में अपराध के घटित होने का पूर्ण विवरण दिया गया है और अपने पिता को अपराध करने वाले व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है, जो पी डब्लू-10 द्वारा लिखा गया था। पी डब्लू-10 के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि वह दूसरे गांव का निवासी एक स्वतंत्र साक्षी था और मिथ्या साक्ष्य देकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। [पैरा 11] [1044-जी-एच; 1045-ए]

1.2. पी डब्लू-1 का आचरण बहुत स्वाभाविक, अधिसंभावित और आश्वस्त करने वाला था । उसकी जिरह में ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया कि वह अपने पिता के विरुद्ध साक्ष्य क्यों देगा । पी डब्लू-1 को इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि वह इस संबंध मे निश्चित नहीं हो कि अपराध किसने किया था, क्योंकि जिरह में उसने इस तरह के सुझाव से इन्कार करते हुए कहा कि इस प्रकार की कोई वजह नहीं है कि उसने अपने पिता का नाम संदेह के आधार पर हमलावर होना बताया हो । अन्य साक्षीगण जो अपीलकर्ता के निकट रिश्तेदार और पड़ोसी थे, उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया। पी डब्लू-2 ने बताया कि जब

लगभग आधी रात को पी डब्लू-1 चिल्लाया तो वह घटनास्थल पर पहुंचा और पी डब्लू-1 से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसकी मां और भाई की उसके पिता ने तेज धारदार चाकू से हत्या कर दी थी। पी डब्लू-1 के सिर और हाथों पर भी चोट लगी थी। पी डब्लू-3, पी डब्लू-4, पी डब्लू-6, पी डब्लू-7 और पी डब्लू-8 की साक्ष्य भी समान प्रकार की थी । समस्त साक्षीगण से जिरह की गई परंतु उनके कथनों के किसी भाग पर भी संदेह किया जा सकता हो ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता था । अभिलेख पर ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता था कि पी डब्लू-1, पुत्र द्वारा अपने पिता को इस प्रकृति के संगीन हत्या के मामले में झूठा संलिप्त करने का कोई कारण उसके पास रहा हो अथवा उसे फँसाने हेतु अन्य साक्षीगण जो अपीलकर्ता के निकट संबंधी तथा पड़ोसी अभियोजन मामले का समर्थन कर रहें हो । प्रतिरक्षा पक्ष ने पी डब्लू-1 को यह सुझाव भी नहीं दिया कि उसे अपीलकर्ता ने चाकू से घायल नहीं किया हो । इसलिए, पी डब्लू-1 की साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है । यद्यपि, अभियोजन पक्ष इस आशय की कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने मे विफल रहा कि पी डब्लू -1 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती रहा हो । साक्ष्य के इस भाग को विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अनदेखा किया है । साक्षीगण स्वाभाविक और अधि संभावित थे तथा निकट संबंधी और पड़ोसी होने से अपराध के तुरंत पश्चात घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी । इस बात का कोई कारण नहीं बताया जा सका कि अपीलकर्ता के

निकट संबंधी उसके विरुद्ध साक्ष्य क्यों देंगे। [पैरा 11, 16, 17] [1045-ए-एफ; 1047-बी-जी]

1.3. पी डब्लू-1 द्वारा दिए गए प्रत्ययक्ष दर्शी साक्ष्य को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर पी डब्लू-5 द्वारा उचित रूप से समर्थित किया गया था, जिन्होंने स्पष्ट किया था कि अपीलकर्ता की मृतक पत्नी की छाती, गर्दन और दिल में चाकू से कई चोटें कारित की गई थीं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया और यह राय दी कि सदमे के कारण कार्डियो-श्वसन विफलता और चोटों के कारण हुआ रक्तस्राव मृत्यु का कारण था। उन्होंने यह भी कहा कि चोटें तेज धार वाले हथियार से कारित थी । यही स्थिति अपीलकर्ता के पुत्र के शरीर पर कारित चोटों के संबंध में भी थी। [पैरा 14] [1046-ई-जी]

1.4. प्रथम जांच अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने पर पश्चातवर्ती जांच अधिकारी पी डब्लू-9 ने साक्ष्य दी कि उसने धारा 302/324 भा द स के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था और 13.4.2000 से अपीलकर्ता को भगोड़ा होना पाया गया ।अपीलकर्ताको उक्त से जिरह करने का अवसर दिया गया था; लेकिन अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। वास्तव में, वह यह बताने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति था कि अपराध में प्रयुक्त हथियार की कोई भी बरामदगी क्यों नहीं की जा सकी थी । [पैरा · 13] (1046-सी-डी)

2. निस्संदेह, अभिलेख से ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता कि अपीलकर्ता के द्वारा अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा । यद्यपि, उद्देश्य का बिन्दु उस समय पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाता है जब अपराध घटित करने के संबंध में विश्वसनीय साक्षी की प्रत्यक्ष साक्ष्य हो. ऐसे मामले में जहां विशेषतः एक पुत्र और अन्य निकट संबंधी व्यक्तियों के द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य दी गई हो, उद्देश्य का सबूत अपनी प्रासंगिकता लुप्त कर देता है । वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य को,चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में उद्देश्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन यह कहना कि उद्देश्य की अनुपस्थिति पूरी अभियोजन कहानी को खत्म कर देगी, इस एकमात्र कारक को महत्व देना उचित नहीं है। उद्देश्य आरोपी के मस्तिष्क में होता है और इसे शायद ही किसी भी हद तक सटीकता से समझा जा सकता है। [पैरा 17,20] (1047-सी-एफ; 1048-जी)

3. जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई हो, पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका होने पर उसका फरार हो जाना, अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकार, अपराध को अंजाम देने के पश्चात अपीलकर्ता का फरार होना और लंबे समय तक लापता रहना मात्र ही उसके अपराधी होने को स्थापित नहीं करता है। [पैरा 22] (1050-सी-ई)

शिवजी गेनु मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1973 एससी 55; हरि शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 9 एससीसी 40; बिकायु पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (2003) 12 एससीसी 616; अबू थाकिर और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 5 एससीसी 91; उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2007) 13 एससीसी 90; यूपी राज्य. बनाम किशनपाल और अन्य (2008) 16 एससीसी 73; मटरू@गिरीश चंद्र बनाम यूपी राज्य एआईआर 1971 एससी 1050; रहमान बनाम यूपी राज्य एआईआर 1972 एससी 110; मध्य प्रदेश राज्य बनाम पलटन मल्लाह एवं अन्य एआईआर 2005 एससी 733, पर विश्वास किया गया।

4. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 के प्रावधान अनुसार किसी एकल साक्षी की साक्ष्य पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि साक्ष्य की सत्यता के बारे में संदेह है, तो न्यायालय उनकी पुष्टि किए जाने पर बल देंगी। वास्तव में यह एक संख्या, एक मात्रा नहीं है, अपितु सारभूत गुणवत्ता है। समय- सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य का वजन देखा जाना चाहिए न कि गिनती की जानी चाहिए। इसका परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता की संभावना है, वह दृढ़, विश्वसनीय और आश्वस्त करने वाला है या इसके अन्यथा है [पैरा 25] [1051-ए-सी]

सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली (2003) 11 एससीसी 367; नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 14 एससीसी 150; कुंजू @ बालाचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 2008 एससी 1381; जगदीश प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1994 एससी 1251; वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य एआईआर 1957 एससी 614 पर विश्वास किया गया ।

कानूनी संदर्भ:

एआईआर 1973 एससी 55 विश्वास किया	पैरा 18
(1996) 9 एससीसी 40 विश्वास किया	पैरा 19
(2003) 12 एससीसी 616 विश्वास किया	पैरा 19
(2010) 5 एससीसी 91 विश्वास किया	पैरा 19
(2007) 13 एससीसी 90 विश्वास किया	पैरा 20
(2008) 16 एससीसी 73 विश्वास किया	पैरा 21
एआईआर 1971 एससी 1050 विश्वास किया	पैरा 22
एआईआर 1972 एससी 110 विश्वास किया	पैरा 22
एआईआर 2005 एससी 733 विश्वास किया	पैरा 22
(2003) 11 एससीसी 367 विश्वास किया	पैरा 25
(2007) 14 एससीसी 150 विश्वास किया	पैरा 26

एआईआर 2008 एससी 1381 विश्वास किया पैरा 27

एआईआर 1994 एससी 1251 विश्वास किया पैरा 27

एआईआर 1957 एससी 614 विश्वास किया पैरा 27

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1247/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपील संख्या 352/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 13.7.2005 से उत्पन्न।

सीरज बग्गा (न्याय मित्र) अपीलकर्ता की ओर से ।

अविजित भट्टाचार्जी, अनन्या कर प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय जिनके द्वारा निर्णय सुनाया गया

डॉ बी.एस. चौहान, जे.

1. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2001 की आपराधिक अपील संख्या 352 मेंपारित 13 जुलाई, 2005 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज किया जाकर धारा 302 के अंतर्गत सत्र परीक्षण संख्या 4 (राज्य बनाम बिपिन कुमार मण्डल) 2001 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दण्ड को बरकरार रखा था । भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके पश्चात इसे 'भा.द.स.' कहा जाएगा)।

तथ्यात्मक रूपरेखा:-

2. वर्तमान अपील में निम्न तथ्य और परिस्थितियाँ प्रकट हुई – पीडब्लू-1 सुजीत मंडल के द्वारा 6.12.1999 को रानीनगर पुलिस स्टेशन में एक पर्चा (इज़हार) दर्ज कराया गया कि उसके पिता बिपिन कुमार मण्डल, अपीलकर्ता 5.12.1999 को लगभग आधी रात को उसके घर आए और उसकी मां उषा रानी मण्डल पर हमला किया और चाकू से वार करके उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। और जब वह अपनी मां को बचाने गया तो उसके पिता ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथों पर भी चोटें आईं तथा वह डरकर भाग गया । उसके छोटे भाई अजीत मंडल को भी उसके पिता ने चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीडब्लू-1 सुजीत मंडल के शोर मचाने की व रोने की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी आ गए और इसी बीच उसके पिता भाग गए।

3. उक्त पर्चा (इजहार) के आधार पर पुलिस ने मामले का अनुसंधान किया तथा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302/307 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया. अपीलकर्ता द्वारा स्वयं को निर्दोष बताया गया और इसप्रकार, उस पर विचारण आरंभ हुआ ।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में, अपीलकर्ताके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 11 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया । अपीलकर्ता के पुत्र द्वारा एक पर्चा (इज़हार) दर्ज कराया गया था और

अन्य साक्षीगण उसी गाँव के निवासी निकट रिश्तेदार एवं पड़ोसी थे। विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्षी गण की साक्ष्य पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायत का आवेदन पीडब्लू-1 के सुजीत मण्डल के निर्देश पर पी डब्लू-10 सईदुल इस्लाम द्वारा लिखा गया था और दोनों के द्वारा न्यायालय में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया गया। पीडब्लू-10 सैदुल इस्लाम,, दूसरे गांव का निवासी था और अपने रिश्तेदार के इलाज के सिलसिले में रानीनगर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र गया था और वहां पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल ने उससे उक्त पर्चा (इज़हार) लिखने के लिए निवेदन किया था.(इ एक्स एच -1). पी डब्लू-1 सुजीत मंडल ने साक्ष्य दी थी कि वह रानीनगर के उसी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में गया था जहां उसे एक दिन के लिए इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अन्य साक्षी जो करीबी पड़ोसी थे, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था और बताया कि वे सभी सुजीत मण्डल की चीखें सुनने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे और जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पीडब्लू-1 सुजीत मण्डल ने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां और भाई की हत्या कर दी है और उसे भी चोटें पहुंचाई हैं। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य पर विचार किया गया। अपीलकर्ता द्वारा ली गई प्रतिरक्षा केवल इस सीमा तक थी कि वह निर्दोष है । विचारण न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है । यद्यपि पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल की चोटें इतनी गंभीर नहीं पायी गयी और

उसे रानीनगर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया हो ऐसा कोई प्रमाण पत्र या कोई अन्य सबूत पेश करने में वह विफल रहा था । अपीलकर्ता को धारा 302 और 323 भा.द.स. के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया था। इस प्रकार उसे धारा 302 भा.द.स. के अंतर्गत आजीवन कारावास और धारा 323 भा.द.स. के अंतर्गत 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई। यद्यपि, दिनांक 12.6.2001 के निर्णय और आदेश के अनुसार माना गया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

5. अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक अपील संख्या 352 /2001 जिसमे उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 2002 के निर्णय और आदेश के अंतर्गत अपील को खारिज कर दिया था, उसे चुनोती दी गई। जिसकी यह वर्तमान अपील है।

प्रतिद्वंद्वी तर्क प्रस्तुत किए:-

6. विद्वान न्याय मित्र श्री सीरज बग्गा द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता निर्दोष है उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है क्योंकि पीडब्लू-1 सुजीत मंडल स्वयं निश्चित नहीं था कि अपराध किसने किया था। अपराध करने का कोई उद्देश्य नहीं था और जिस हथियार से अपराध किया गया वह कभी बरामद नहीं किया गया। तथाकथित सम्बन्धी व्यक्तियों पीडब्लू 2 से 8 द्वारा दिया गई पड़ोसियों की साक्ष्य केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं, किसी ने भी अपराध होते नहीं देखा था।

7. पी डब्लू-4 दिलीप कुमार, ने साक्ष्य दी कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो उस के पहुंचने के कुछ समय बाद ही अजीत मंडल की मृत्यु हो गई। जबकि, किसी अन्य गवाह ने यह नहीं कहा है कि जब वे पी डब्लू -1 अजीत मण्डल की रोने व चिल्लाने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे तब अजीत मण्डल जीवित हो और कुछ समय बाद उसकी की मृत्यु हुई हो। उनके कथनों में सारभूत विरोधाभास हैं । तीनों व्यक्ति एक ही कमरे में सो रहे थे जो खुला था इसलिए, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए घर में प्रवेश करना संभव था और किसी बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने और अपराध कारित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अपीलकर्ता असामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति था जिसके कारण कई लोग उससे द्वेष रखते थे इसलिए, कोई अन्य व्यक्त भी अपराध कारित कर सकता था। इस आशय का साक्ष्य भी संदेह से मुक्त नहीं है कि अपराध के समय दीपक जल रहा था और पर्याप्त रोशनी थी। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य होना बताया ।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील श्री अविजित भट्टाचार्जी ने अपील का विरोध किया और पुरजोर तरीके से तर्क प्रस्तुत किया कि पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल के मन में इस पर कोई संदेह या संशय नहीं था कि उसके पिता ने ही अपराध किया है। पी डब्लू 2 से 8 निकट रिश्तेदार और पड़ोसी द्वारा दी गई साक्ष्य, जो अपराध के तुरंत पश्चात घटना स्थल पर पहुंच गए थे,किसी की साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता है। क्योंकि

उनमें से प्रत्येक ने विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दी है कि पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल ने उन्हें बताया था कि अपीलकर्ता, उसके पिता ने अपराध किया है। अपराध में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी नहीं हो सकने का कारण अपीलकर्ता का लंबे समय तक फरार रहा होना बताया । अपीलकर्ता का लंबे समय तक फरार रहने का आचरण ही उस के अपराध को स्थापित करना बताया ।

9. सभी साक्षीगण से जिरह की गई इनमे से किसी की साक्ष्य से ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जो उनकी विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता हो। अपीलकर्ता ने मात्र स्वयं को निर्दोष बताया और कुछ नहीं। उसने यह भी नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में वह अपने पारिवारिक घर से भाग गया था तथा कहीं अन्यत्र रह रहा था। अपराध घटित होने के समय वह कहां था तथा यदि वह निर्दोष था तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पीड़ितों के अंतिम संस्कार आदि में शामिल क्यों नहीं हुआ। अपील में गुणवत्ता नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमारे द्वारा पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिद्वंद्वी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

11. पी डब्लू-1 सुजीत मंडल ने 6.12.1999 को रानीनगर पुलिस स्टेशन में एक पर्चा (इज़हार) दर्ज कराया गया जिसमें अपराध घटित होने का सम्पूर्ण विवरण दिया गया और अपने पिता को अपराध करने वाले

व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। उक्त पर्चा (इज़हार) पी डब्लू-10 सैदुल इस्लाम द्वारा लिखा गया था। पी डब्लू-10 के साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक स्वतंत्र साक्षी है दूसरे गाँव का निवासी होने से तथा अभियोजन मामले का समर्थन करने में उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं हो सकती है ।

पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल का आचरण बहुत स्वाभाविक, अधि संभावित और आश्वस्त करने वाला है। जिरह के दौरान उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में कुछ भी भिन्न नहीं आया है । जिरह में भी ऐसा कोई कारण नहीं आया है कि अन्यथा क्यों एक पुत्र अपने पिता के विरुद्ध साक्ष्य देगा। पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल को कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि वह निश्चित ना हो कि अपराध किसने किया है । जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उसने कहा हो कि उसने संदेह के आधार पर पिता का नाम हमलावर होने का बताया हो। इस तरह के सुझाव से इन्कार किया है । अन्य साक्षीगण जो अपीलकर्ता के निकट सम्बन्धी और पड़ोसी थे उन्होंने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है। पी डब्लू-2 संभूनाथ ने साक्ष्य दी कि जब लगभग आधी रात को पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल चिल्लाया तो वह अपने घर से बाहर आया और वहाँ पहुंचा और पीडब्लू-1 से पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसकी माँ और भाई की अपीलार्थी द्वारा धारदार चाकू से हत्या कर दी गई है और पीडब्लू-1 के सिर और हाथ पर भी चोटें लगी है । पी डब्लू-3 स्वपन कुमार,, ने बताया कि घटनास्थल

पर पहुंचने पर उसने सुजीत मण्डल से पूछताछ की, जिसने उसे बताया कि उसके पिता ने उसकी मां उषा रानी और भाई अजीत मण्डल की धारदार चाकू से हत्या कर दी और उसके पिता ने उसे (सुजीत मण्डल) को भी जान से मारने का प्रयास किया था । पी डब्लू-4 दिलीप कुमार,, पी डब्लू-6 बिनय मण्डल, पी डब्लू-7 अनुकूल चंद्र और पी डब्लू-8 प्रसन्न कुमार द्वारा भी इसी आशय की साक्ष्य दी। इन सभी साक्षीगण से जिरह की गई थी परंतु अभिलेख पर ऐसा परिलक्षित होने जैसा कुछ भी नहीं था कि उनकी साक्ष्य के किसी भी भाग पर संदेह किया जा सके । हमें श्री सीरज बग्गा द्वारा दिये गये इस तर्क में कोई बल नहीं मिला कि उनकी साक्ष्य में सारभूत विरोधाभास हो । अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि पी डब्लू- 4 दिलीप कुमार ने साक्ष्य दी कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा अजीत मण्डल जीवित था और उसने उससे पूछताछ की थी कि उसके चोट किसने पहुंचाई और उसने उसे बताया कि उसके पिता ने उस पर हमला किया और भाग गया । उसने यह भी कहा कि सुजीत मण्डल ने उससे कहा था कि अजीत मण्डल और उषा रानी पर भी अपीलकर्ता द्वारा हमला किया गया था । अजीत मण्डल की कुछ ही समय में मृत्यु हो गई और उसके पहुँचने से पहले ही उषा रानी की मृत्यु हो गई थी।

12. श्री सीरज बग्गा द्वारा प्रस्तुत तर्क यह रहा कि किसी भी अन्य साक्षी ने यह नहीं बताया कि जब उनमें से कोई भी घटना स्थल पर पहुंचा

तब अजीत मंडल जीवित हो । वास्तव में अभिलेख पर ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता है कि घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था। यह नहीं माना जा सकता कि वे सभी एक ही समय/एक साथ घटना स्थल पर पहुंचे हों । पी डब्लू-4 दिलीप कुमार से उसकी जिरह में अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। इसलिए, यह अत्यधिक संभावित है कि वह घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और उसके द्वारा दी गई साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता है ।

13. पूर्व अनुसंधान अधिकारी के स्थानांतरित होने पर पी डब्लू-9 बिपिन मुखर्जी पश्चातवर्ती अनुसंधान अधिकारी के द्वारा साक्ष्य दी गई कि उन्होंने अपीलकर्ता को भगोड़ा दर्शाते हुए 13.4.2000 को धारा 302/324 भा.द.स. के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। । अपीलकर्ता को उक्त साक्षी से जिरह करने का अवसर दिया गया; लेकिन अवसर का लाभ नहीं उठाया गया. वास्तव में, वह साक्षी अपराध में प्रयुक्त हथियार चाकू की बरामदगी क्यों नहीं हो सकी यह स्पष्ट करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति था ।

14. पी डब्लू-10 सईदुल इस्लाम अन्य गांव से संबंधित एक स्वतंत्र साक्षी द्वारा रानीनगर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अपने द्वारा लिखे गए पर्चा (इजहार) को सफलतापूर्वक साबित कर दिया गया। पी डब्लू-1 सुजीत मंडल द्वारा दी गई प्रत्यक्ष साक्ष्य को और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित

कराए गये साक्षी पी डब्लू-5 डॉ. तरूण कुमार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से विधिवत साबित करके समर्थित किया गया, जिन्होंने बताया था कि उषा रानी मंडल की गर्दन, दिल और छाती में चाकू से कई चोटें कारित की गई थीं।. उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया और मृत्यु का कारण सदमे के कारण कार्डियो श्वसन विफलता और चोटों के कारण रक्तस्राव होना था। उन्होंने यह भी कहा कि चोटें धारदार हथियार से कारित थी । यही स्थिति अजीत मंडल के शरीर पर कारित चोटों के संबंध में पाई गई थी.

15. अपीलकर्ता से धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत पूछेगए प्रत्येक प्रश्न के लिए उसका एक ही उत्तर था कि वह निर्दोष है और वह अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहता है ।

16. उक्त समस्त का अवलोकन करते हुए, हम अनिवार्यतः इस निष्कर्षपर पहुंचते हैं कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता है कि पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल एक पुत्र के पास अपने पिता को इस प्रकृति के संगीन हत्या के मामले में मिथ्या संलिप्त करने अथवा अन्य साक्षीगण के पास, जो अपीलकर्ता के निकट रिश्तेदार और पड़ोसी थे, फंसाने का कोई कारण हो और वे इस कारण से अभियोजन पक्ष के मामलेका समर्थन करते हों ।

17. समस्त साक्षीगण से जिरह के दौरान ऐसा कुछ भी परिलक्षित नहीं हुआ जिसके कारण उनके साक्ष्य को अमान्य किया जा सके ।

साक्षीगण स्वाभाविक और अत्यधिक संभावित थे और निकट रिश्तेदार और पड़ोसी होने से अपराध घटित होने के तुरंत बाद घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी । ऐसा कोई कारण नहीं बताया जा सका कि अपीलकर्ता के निकटस्थ रिश्तेदार उसके विरुद्ध साक्ष्य क्यों देंगे। निस्संदेह, अभिलेख पर यह दर्शित करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता के पास अपनी पत्नी और पुत्र की हत्या करने के पीछे कोई उद्देश्य हो। यद्यपि, अपराध के पीछे के उद्देश्य को समझना मुश्किल है। जब अपराध के घटित होने के संबंध में किसी विश्वसनीय साक्षी का प्रत्यक्ष सबूत हो तो उद्देश्य का बिन्दु पूर्णतया अप्रासंगिक हो जाता है । ऐसे मामले में, विशेषतया जब एक पुत्र और अन्य निकट रिश्तेदार द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य दी जाए, तो प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा उद्देश्य का सबूत अपनी प्रासंगिकता लुप्त कर देता है। वर्तमान मामले में, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित होना पाया गया है। यह दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता को पीड़ितों द्वारा कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन मिला हो या अपीलकर्ता ने पीड़ितों में से किसी के द्वारा किए गए किसी कृत्य से आत्म-नियंत्रण की शक्ति खो दी हो ।

उद्देश्य:-

18. वास्तव में,उद्देश्य एक ऐसा कारक है जिसे प्राथमिक रूप से अभियुक्त स्वयं जानता है और अभियोजन पक्ष के लिए यह स्पष्ट करना

संभव नहीं होता है कि कोई विशेष अपराध करने के लिए वास्तव में उसे किस चीज़ ने उत्प्रेरित या प्रोत्साहित किया ।

शिवजी गेनु मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1973 एससी 55 के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यदि अभियोजन पक्ष प्रेरक उद्देश्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है,तो एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा साबित की गई साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं किया जा सकता है । इसमें कोई शक नहीं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर पूर्णरूप से निर्भर मामलों में उद्देश्य का सबूत अत्यधिक सहायक साबित होते है । ऐसे साक्ष्य इस प्रकार के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी बनते हैं, लेकिन उन मामलों में ऐसा नहीं होगा जहां प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी की विश्वसनीय साक्ष्य हो, यद्यपि ऐसे मामलों में भी यदि उद्देश्य पूर्णरूप से साबित हो जाता है, तो ऐसे सबूत अभियोजन के मामले को दृढ़ता प्रदान करेंगे और न्यायालय को अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक होंगे । लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यदि उद्देश्य स्थापित नहीं किया गया हो, तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य को अविश्वसनीय मान लिया जावे ।

19. यह स्थापित विधिक नियम है कि चाहे कथित उद्देश्य की अनुपस्थिति को स्वीकार कर लिया जाए लेकिन जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित कर देता है तो वह महत्वहीन हो जाता है, इसका कोई प्रभाव

नहीं रहता है। इसलिए, यदि किसी अपराध के घटित होने के संबंध में साक्षीगण की प्रत्यक्ष विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उद्देश्य वाला भाग अपना महत्व लुप्त कर देता है। इसलिए, यदि घटना के उद्देश्य का होना ही साबित नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में यदि अन्यथा साक्ष्य विश्वास किए जाने योग्य है तो घटना के बारे में साक्षीगण की प्रत्यक्ष साक्ष्य को मात्र उद्देश्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं किया जा सकता है । (हरि शंकर बनाम यूपी राज्य, (1996) 9 एससीसी 40; बिकाऊ पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य,(2003) 12 एससीसी 616; और अबू थाकिर एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 5 एस सी सी 91)।

20. परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में उद्देश्य अत्यधिक महत्व रखता है, लेकिन यह कहना कि उद्देश्य की अनुपस्थिति पूरी अभियोजन कहानी को खत्म कर देगी, इस एक कारक को महत्व देना उचित नहीं है। उद्देश्य आरोपी के मस्तिष्क में होता है और इसे शायद ही किसी भी हद तक सटीकता से समझा जा सकता है। (उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2007) 13 एस सी सी 90)।

21. इसी प्रकार के बिंदुओं का निस्तारण करते समय, इस न्यायालय द्वारा यूपी राज्य बनाम किशनपाल एवं अन्य, (2008) 16 एस सी सी 73 में अभिनिर्धारित किया कि:-

"उद्देश्य की प्रासंगिकता साक्ष्य का आकलन करने के लिए एक परिस्थिति के रूप में मानी जा सकती है,परंतु यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है और परिस्थितियाँ आरोपी के अपराध को सिद्ध करती हैं तब यदि उद्देश्य अधिक दृढ़ नहीं है तो भी उसे कमजोर नहीं बनाते हैं । यह भी स्थापित विधि है कि जिस मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो, वहां उद्देश्य का महत्व सम्पूर्णतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहां तक कि यदि आरोपी व्यक्तियों के लिए किसी विशेष अपराध को करने का बहुत दृढ़ उद्देश्य रहा हो परंतु प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की दृढ़ साक्ष्य नहीं हैं तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसी तरह चाहे कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं हो, लेकिन यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की स्पष्ट और विश्वसनीय साक्ष्य है, तो उद्देश्य की अनुपस्थिति या अपर्याप्तता दोषसीदद्धी के मार्ग में बाधक नहीं होगी ।"

अभियुक्त का फरार होना:-

22. मटरू@गिरीश चन्द्र बनाम यूपी राज्य, एआईआर 1971 एस सी 1050 के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा राज्य की ओर से दिए गए तर्कों को अस्वीकार कर दिया गया था कि अपराध किए जाने के बाद आरोपी

फरार हो गया था, इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि वह एक दोषी व्यक्ति हो ।, जिसे निम्नानुसार देखा जा सकता है:-

> "अपीलकर्ता के फरार होने के आचरण पर भी विचार किया गया । यहाँ मात्र फरार होने से यह आवश्यक नहीं है कि दोषी मस्तिष्क होने का ही निष्कर्ष निकाला जाए। यहां तक कि एक निर्दोष व्यक्ति भी घबरा सकता है और उस पर गंभीर अपराध का गलत संदेह होने पर गिरफ्तारी से बचने की वह कोशिश कर सकता है। यह आत्म-सुरक्षा की प्रवृत्ति है। फरार होने का कार्य निस्संदेह साक्ष्य का प्रासंगिक भाग है जिसे अन्य साक्ष्य के साथ जोड़कर माना जाना चाहिए लेकिन इसका महत्व सदैव प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। सामान्यतः न्यायालय दोष सिद्धि हेतु साक्ष्य में फरार होने के कृत्य को बहुत महत्व ना देते हुए अत्यंत सूक्ष्म वस्तु मानकर उस पर ध्यान देने की अनिच्छुक होती हैं । इसे दृढ़ विश्वास के रूप में रखा जा सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को पूरा करने हेतु एक निर्णायक कड़ी का होना अत्यंत आवश्यक है जिसमें अभियुक्त के द्वारा ही अपराध किए जाने के अतिरिक्त किसी अन्य उचित परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता एफआईआर दर्ज होने

तक रामचंद्र के साथ था। और यदि इसके बाद उसे प्रतीत हुआ कि उस पर गलत तरीके से संदेह किया जा रहा है और उसने इस कारण से दूर रहने की कोशिश की,यदि उसकी निर्दोषिता असंगत नहीं है, तो उस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि न्याय से बचने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को दोषी मस्तिष्क होने का सबूत मान लिया जावे । रहमान बनाम यूपी राज्य एआईआर 1972 एससी 110; और मप्र राज्य बनाम पलटन मल्लाह एवं अन्य एआईआर 2005 एससी 733 में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण दोहराया गया है।

जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई हो, उसे पुलिस द्वारा स्वयं के पकड़े जाने की आशंका होने पर उसका फरार हो जाना, अव्यावहारिक नहीं कहा जा सकता है ।

इस प्रकार उक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, श्री भट्टाचार्जी के इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है कि अपराध करने के पश्चात अपीलकर्ता का मात्र फरार हो जाना और लंबे समय तक उसका पता न चल पाना ही, उसके अपराधी होने को स्थापित करता हो । फरार होना स्वतः ही अपराध या दोषी विवेक का निर्णायक नहीं है।

23. प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पी डब्लू-1 सुजीत मण्डल को कोई सुझाव भी नहीं दिया, कि उसे अपीलकर्ता द्वारा चाकू से वार कर घायल नहीं किया गया हो । इसलिए, पी डब्लू-1 की साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यद्यपि, अभियोजन पक्ष इस आशय का कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि पी डब्लू-1, सुजीत मंडल पी.एच.सी रानीनगर में भर्ती रहा हो । साक्ष्य के इस भाग को विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा कर दिया गया था ।

एकल साक्षी की साक्ष्य:-

24. श्री बग्गा ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि पी डब्लू-1, सुजीत मण्डल की एकमात्र साक्ष्य थी तथा शेष साक्षीगण अर्थात पी डब्लू-2 लगायत पी डब्लू-8 की साक्ष्य केवल सुनी-सुनाई साक्ष्य के रूप में ही माना जा सकता है, दोषसिद्धि के लिए उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

25. सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एनसीटी दिल्ली (2003) 11 एससीसी 367, के मामले में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के तर्क को यह देखते हुए खारिज कर दिया था कि एक सामान्य नियम के रूप में एकल साक्षी की साक्ष्य पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, बशर्ते वह पूर्णतया विश्वसनीय हो। किसी एकल साक्षी की साक्ष्य पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 बी का आशय है। लेकिन यदि साक्ष्य के संदर्भ में संदेह हो

तो न्यायालय उसकी पुष्टि किए जाने पर बल देंगी। वास्तव में यह एक संख्या,एक मात्रा, नहीं है अपितु सारभूत गुणवत्ता है। समय-सम्मानित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य का वजन देखा जाना चाहिए, उनकी गिनती नहीं की जानी चाहिए। जिसका परीक्षण यह है कि साक्ष्य में सत्यता है या नहीं, वह दृढ़, विश्वसनीय और आश्वस्त करने वाला है या अन्यथा।

26. नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 14 एससीसी 150, के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान दृष्टिकोण दोहराया गया कि किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध करने के लिए गुणवत्ता आवश्यक है ना कि साक्ष्य की मात्रा । कानूनी प्रणाली में साक्षीगण की संख्या, बहुलता या अधिकता की अपेक्षा साक्ष्य के महत्व, वजन और गुणवत्ता पर बल दिया गया है । इसलिए एक सक्षम न्यायालय पूर्णरूप से एकल साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास कर सकता है और दोषसिद्धि कर सकता है। इसके विपरीत,अनेक साक्षीगण की साक्ष्य के बावजूद यदि साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं होने पर अभियुक्त दोष मुक्त हो सकता है ।

27. कुंजू @ बालाचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2008 एससी 1381 के सहित जगदीश प्रसाद बनाम एम पी एआईआर 1994 एससी 1251; वडिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1957 एससी 614 में इस न्यायालय के विभिन्न पूर्वनिर्णयों पर विश्वास करतेहुए एक समान दृष्टिकोण दोहराया गया है।

28. इस प्रकार, उक्त विचार को ध्यान में रखतेहुए, श्री बग्गा द्वारा दिया गया तर्क में कोई बल नहीं है कि एकल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती हो । उक्त अनुसार दिया गया तर्क अस्वीकार किया गया ।

29. हमारी सुविचारित राय है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की समीक्षा की हेतु आवश्यक विशिष्टियाँ दर्शित नहीं करती हैं। अपील में गुणवत्ता का अभाव होने से खारिज की जाती है।

30. पृथक होने से पूर्व, सुनवाई के दौरान न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए श्री सीरज बग्गा के प्रति प्रशंसा, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल-II (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।